463

संख्याः– 73/XIV–1/2015–05(05)/2009

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनांक 27 फरवरी, 2015

विषय– राज्य के जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू किये जाने के लिये डी0पी0आर0 के शुल्क भुगतान हेतु वर्ष 2014–15 में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्याः–6504/नियो0/आई0सी0डी0पी0 (40)/2014–15 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 3–29(11)/2010 –आईसीडीपी(162)(SA00077)दिनांक 02.08.2010,पत्र संख्या– 3–29(12)/2010–आईसीडीपी(161) (SA00076) दिनांक 02.08.2010, पत्र संख्या– 3–29(13)/2010–आईसीडीपी(163)(SA00078) दिनांक 02.08.2010 एवं पत्र संख्या– 3–29(10)/2010–आईसीडीपी(160)(SA00075) दिनांक 02.08.2010 के कम में अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्याः–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–1055/XXVII(1)/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में प्रति जनपद ₹ 2.10 की दर से **कुल 8.40 लाख** की लागत से प्रश्नगत चार जनपदों के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी थी। एन0सी0डी0सी0 द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार डी0पी0आर0 शुल्क की 75 प्रतिशत धनराशि **₹ 6.30 लाख** का भुगतान सहकारी प्रबन्ध संस्थान देहरादून को किया जा चुका है। निगम के उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अन्तिम रिपोर्ट की स्वीकृति पर 25 प्रतिशत शुल्क प्रति परियोजना **₹ 0.525 लाख** की दर से 4 परियोजनाओं की कुल धनराशि **₹ 2.10 लाख** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय–समय पर प्राप्त शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी तथा एन0सी0डी0सी0के पत्र दिनांक 20 जरवरी 2010 व उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

budget release 2014-15

(5) धनराशि का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एम0–13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) –00–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–318/XXVII-1/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं संख्या–1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
प्रभारी सचिव।

संख्याः–73(1)/XIV–1/2015, तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 4 सीरी इन्सट्यूशनल एरिया हौज खास नई दिल्ली।
3. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग,उत्तरकाशी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संबंधित जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितिया, उत्तराखण्ड **द्वारा निबन्धक।**
7. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।